न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 5/2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/61

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. देवीलाल पुत्र भैरा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 2. रामेश्वर पुत्र भैरा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 3. सोहनी पत्नि भैरा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर		1. प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 2. मीना पुत्री मांगीलाल जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 3. मोहन पुत्र छोगा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 4. रूकमण पत्नि छोगा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 5. विकासकुमार पुत्र मांगीलाल जाट ना. सरपरस्त भाई प्रकाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 6. सुरेखा पुत्री मांगीलाल जाट ना. सरपरस्त भाई प्रकाशचन्द्र जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 7. नेनुराम पुत्र रूपा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय 7/1. मोहन पिता नेनुराम जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 7/2. अर्जुन पिता नेनुराम जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 7/3. मांगी पुत्री नेनुराम जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 8. पारस पुत्र रूपा जाट निवासी लखाहोली तहसील रायपुर 9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री हरिश चन्द्र टेलर, प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री सुनील बापना विप्रार्थी 3 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 लगायत 8 एकपक्षीय
4. पैराकार सरकार उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक–16.10.2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम लखाहोली पटवार हल्का बकाण के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 38 में अंकित आ.स. 306 रकबा 0.57 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड होकर स्थित हैं। प्रमाण में

सहायक कलक्टर

जमाबन्दी संवत 2075–2078 की मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में संज बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन का रास्ता ग्राम लखाहोली की बिलानाम सरकारी रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी संख्या 300 की पश्चिमी भुजा पर होकर फिर आगे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 7 व 8 की आराजी संख्या 317 व 318 के मध्य स्थित 13 फीट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 306 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण के उक्त खेत में आवागमन का एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम लखाहोली में स्थित कृषि आ.स. 306 रकबा 0.57 है0 में आवागमन के लिए रास्ता ग्राम लखाहोली की बिलानाम सरकारी रास्ते से होकर आगे विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 की आराजी संख्या 300 की पश्चिमी भुजा पर होकर फिर आगे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 7 व 8 की आराजी संख्या 317 व 318 के मध्य स्थित 13 फीट चौड़े रास्ता स्थित है, को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जाकर उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमी की डीएलसी दर से राशी विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

03. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 6, 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही दिनांक 27.02.2025 को की गई, विप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता श्री सुनिल बापना उपस्थित एव विप्रार्थी संख्या 7 के वारीसान बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 06.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार रायपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

04. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/प्र0स0/5/23/994 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. उक्त प्रकरण की जांच के लिए मौके पर प्रार्थी देवीलाल पुत्र भैरा जाट निवासी लखाहोली ने जाहिर किया कि प्रकरण में रास्ता सम्बधित आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं प्रकरण को विड्रो (निरस्त) कराना चाहते है।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी देवीलाल पुत्र भैरा जाट निवासी लखाहोली ने जाहिर किया कि प्रकरण में रास्ता सम्बधित आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही चाहते है एवं प्रकरण को विड्रो (निरस्त) कराना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहने एवं प्रकरण को विड्रो (निरस्त) करना चाहने से, प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा